इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त उ०प्र० शासन द्वारा जारी शासकीय पर स्थगनादेश की प्रति

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Civil Side

APPELLATE/ORIGINAL JURISDICTION

Dated Allahabad, the 03/10/2002.

PRESENT. The Hon'ble Mr. Justice M. KATJU..............J.

and Hon'ble Mr Justice RAKESH TIWARI,.....J.

CIVIL MISC. WRIT PETITION No. 42750/2002, of 20

Order on the application of C.M. (STAY) APPLICATION NO.171505/2002.

In re :

1. International Development Society of Electro Homoepathy System of Medicine, New Delhi at WZ-36C Krishna Puri, New Delhi through V. Kumar its Secretary and 02 others.

Petitioner

Appellant

versus :

1. Secretary Ministry of Health and Government of India New Delhi ~~and 02 others.~~

Respondent

ORDER :

(DISTRICT : ALLAHABAD).

BY THE COURT

In view of the judgment of Madhya Pradesh High Court, Punjab High Court and Delhi High Court enclosed as Annexures-7,10 and 12 to the writ petition. We restrian the resp-ondents from interfering in the functioning of the petitioner and "members of petitioners" Association as Electro Homoepathy Practitioners.

Dt./-03.10.2002.

Sd./-M. KATJU.

Sd./-RAKESH TIWARI.

MANOJ KUMAR

Ex./- [signature]

11/10/02

TRUE COPY

[signature] 11/10/2002

Section Officer

Copying Department

High Court, Allahabad

Calcutta High Court Judgement on Alternative Medicines

The Hon'ble High Court of Calcutta, in it's final judgement "Constitutional writ Jurisdiction" Matter No. 546 of 1988 dated May 7th, 1990, which has been reported in the Calcutta law journal 1991 (2) CLJ page No.173, held the following important points regarding the constitutional rights and legal validity of Alternative System of Medicines in India.

1. The Alternative System of Medicine clearly indicates that, it is a system which is contrary to the modern system of mediciene based on antibiotics and Chemical compound. Thus, imparting training & conferring diploma & certificates as to Alternative System of Medicine violates no legal provision.

2. Indian Medical Council Act. 1956 Scope of the Act. A system of Medicine known as alternative system of Medicine devoid of any therapy by chemicals and a systems taught to cure disease by controlling diet, breathing etc. without any chemical therapy is not illegal it contravenes no provision of the Act.

4. Thus Ayurveda and Homoeopathy which are recognised by the two Acts. of 1971 and 1973 mentioned above, are in fact system of Alternative Medicine. They were recognised by Parlimentary Acts only as recently as the beginning of the last decade. But before that they were practiced only as system of alternative medicine without any formal recognition by the Indian Medical Council or any university.

5. The poor people are deprived of medicine and alternative system of medicine can find some solution and help the people to get treatment they must be appreciated and encouraged. Government has not recognised the degree/diploma conferred by these authorities but certainly the Government cannot stop the people from getting education in this system which is an alternative system of medicine. Article 19(1) (g) confers report the citizen to practice any profession or to carry on any occupation or trade or business subject to the limitation that the State can impose reasonable restrictions in the interest of general public. Article 19(6) did not provide any power upon the legislature to prohibit teaching or imparting education in alternative medicine nor there was any legislature imposing any ban on such studies. The person concerned who had got trainnig and who may get training under this system, may not practice like an allopathy or homoeopathy doctor, but certainly, they have right to pursue this system and can prescribe the same to the people.

अब कोई भी चिकित्सा व्यवसाय (डाक्टरी) कर सकेगा। मद्रास हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

(हिन्दी रूपांतर द्वारा श्री एम0एन0 बाजपेई तथा लीगल एडवाइजर सम्पादक–चिकित्सा पल्लव बांदा) साभार

माननीय मद्रास उच्च न्यायालय मद्रास

दिनॉक 9/6/1998

माननीय न्यायाधीश श्री एस0एस0 सुब्रमणि रिट याचिका नं0 7402, 7496, 7445, 7598 और 7606 सन् 1998 और डब्लू0एम0पी0 संख्या 11300, 11425, 11496, 11463 और 11573 सन् 1998

आल इण्डिया प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर्स एसोसियेशन पंजीकरण सं0 206/92 के अध्यक्ष डॉ0 ए0एम0 वडीवेलु के द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत।	रिट याचिका नं0 7402/98 के याची
आल इण्डिया प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसियेशन तमिलनाडु शाखा के महासचिव	रिट याचिका नं0 7496/98 के याची
एम0सी0 जॉन राजा, पंजीकरण सं0 एस0 2173–1962–63 द्वारा प्रार्थना पत्र पुनः प्रस्तुत सी0 गोविन्द राजुल	रिट याचिका नं0 7545/98 के याची
सी0 सेहू और 35 अन्य आल इण्डिया प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसियेशन पाण्डिचेरी शाखा के अध्यक्ष सी राजशेखरम द्वारा प्रार्थना पत्र पुनः प्रस्तुत	रिट याचिका नं0 7598/98 रिट याचिका नं0 7606/98

बनाम

1. तमिलनाडु राज्य के गृह सचिव फोर्ट सेन्ट जार्ज चेन्नई 9 द्वारा प्रस्तुत उत्तर 98 में प्रथम प्रतिवादी	रिट याचिका नं0 7402 और 7545
2. पुलिस महानिदेशक चेन्नई–2 , 7545 प्रतिवादी	रिट याचिका नं0 7402, 7496 और 7598/98 में दूसरे
3. भारत संघ के प्रतिनिधि सचिव स्वास्थ्य	सभी रिट याचिकाओं में तीसरे मंत्रालय नई दिल्ली प्रतिवादी
4. तमिलनाडु राज्य के प्रतिनिधि आयुक्त और सचिव राजकीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मद्रास–9	रिट याचिका नं0 7496/98 तथा 7598/98 में प्रथम प्रतिवादी
5. पाण्डिचेरी राज्य के प्रतिनिधि आयुक्त और सचिव राजकीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय पाण्डिचेरी	रिट याचिका नं0 7606/98 में प्रथम प्रतिवादी
6. पुलिस महानिदेशक पाण्डिचेरी प्रतिवादी	रिट याचिका नं0 7606/98 में दूसरे

याचिओं के वरिष्ठ अधिवक्तागण

श्री पी0 मोहन के श्री सी0ए0 सुन्दरम् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी0 मार्गबन्धु श्री मोहन रंगनाथन श्री ए0 राघुल श्री के0बी0 तामिलमनी अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता	रिट याचिका नं0 7402/98 रिट याचिका नं0 7496 और 7606/98 रिट याचिका नं0 7545/98 रिट याचिका नं0 7598/98 सभी प्रतिवादिओं की ओर से आदेश

आदेश

1. संगठनो (Associations) तथा व्यक्ति विशेष द्वारा उच्च न्यायालय में दायर इन सभी प्रार्थना पत्रो का सामान्य हल यह निकाला कि अनक्वालीफाइड चिकित्सा व्यवसायी अपना चिकित्सा व्यवसाय जारी रखे । स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी विज्ञापन पत्र नं0 V11016/3182/HI(P) दिनांकित 8/7/1986 में शामिल आधुनिक औषधियों के विषय में सीमाओं के किसी भी तरह के हस्तक्षेप में प्रतिवादीओं को धैर्य रखना चाहिए ।

2. 1998 की रिट याचिका नं0 7402 के तत्वो को मै केवल संक्षेप में ले रहा हूँ क्योकि यह सभी प्रार्थना पत्रो के सभी बिन्दुओं पर निर्भर हैं। वादी यहां पर एक एशोसियशन है जिसमें 185 से भी अधिक सदस्य हैं। इस याचिका के दायर करने का मुख्य कारण यह था कि हाल ही में एक लड़का चिकित्सक की असावधानी के कारण मर गया था उस चिकित्सक ने जनता को बता रखा था कि वह योग्यता प्राप्त चिकित्सा व्यवसायी है पर वास्तविकता तभी सामने आयी जब जांच के उपरान्त यह पाया गया कि वह योग्यता प्राप्त चिकित्साव्यवसायी नहीं हैं लेकिन स्वयं को अवैध प्रमाणपत्रो के माध्यम से यह दर्शाता था कि वह एक एम0बी0बी0एस0 डिग्री प्राप्त चिकित्सक है। उस लडके की मृत्यु ने आम जनता के बीच अत्यधिक भय उत्पन्न कर दिया। सरकार ने पुलिस को यह आदेश दिया कि जो व्यक्ति अवैध प्रमाण पत्रों का प्रयोग करते है तथा स्वयं को एक योग्यता प्राप्त चिकित्सा व्यवसायी दर्शाते है, को गिरफ्तार किया जाये । सरकार के निर्देशों का पालन करते हुये यह वादियों और संगठन के बीच का मामला बना । कि पुलिस उसके (संगठन के सदस्यों के साथ) नजायजी कर रही हैं। यद्यपि सरकार के निर्देश पर कोई प्रार्थना पत्र इस सम्बन्ध में नही हैं। यह उनका मामला हैं कि वे कभी भी जनता के सामने प्रतिनिधित्व पर नहीं आयें हैं और अयोग्य चिकित्सा व्यवसायी के रूप में तथा जनता उनकी योग्यता को जानती थी । यह कि बाद में उन्हें आधुनिक औषधियों का ज्ञान है और संगठन के सदस्यों की न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल है तथा वह पिछले 10 वर्षो से आधुनिक औषधियों में चिकित्सक के रूप चिकित्सा अभ्यास कर रहे हैं।

3. यह वह मामला है कि योग्यता प्राप्त चिकित्सक गॉवो में उपलब्ध नही है और आधुनिक औषधियों में उनके ज्ञान के कारण गॉवों के आम लोग उनकी सेवा को स्वीकार करतें हैं और उन्होंने जनता के लिए कोई सन्देह तथा शिकायत की जगह नहीं रखी है। इसके आगे कहा गया है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अतिरिक्त प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धति बहुत ही लोकप्रिय है और बहुत से लोगों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में विश्वास नहीं हैं यद्यपि ऐसे व्यवसायी कुछ हजारों की संख्या में है जो जनता को अपनी सेवायें प्रदान करते हैं तथा उनकी सेवायें नियमित भी नहीं हैं।

4. केन्द्रीय सरकार ने विज्ञापन पत्र (Cercular) तथा अधिसूचनायें जारी कर निभिन्न राज्यों सरकारों को अनर्हित (अनक्वालीफाइड) चिकित्सा व्यवसायियों को नियमित करने की सलाह दी है तथा इस तरह का अन्तिम सरकुलर दि0 8/7/1986 को जारी किया। इस सरकुलर का उद्देश्य केवल अनर्हित चिकित्सा व्यवसायियों के लिए था और यह ऐसे अनर्हित चिकित्सा व्यवसायियों को आधुनिक औषधियों में प्रैक्टिस के लिए निश्चित परिस्थितियों में आयोग्य ठहराना था।

उपरोक्त सरकुलर के अनुसार ये अनर्हित चिकित्सा व्यवसायी किसी भी तरह की शल्य क्रिया, प्रसवकार्य या प्रकाश सम्बन्धी कियायें (Redition therapy) नहीं कर सकते तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1945 की सूची में उल्लिखित जी 'एच' 'एल' समूह की औषधियों के प्रयोग तथा उन औषधियों जो खतरनाक हैं के प्रयोग की सलाह नही दे सकते हैं।

भारत सरकार द्वारा जारी इस सरकुलर के आधार पर अधिकतर राज्यों ने नियम लागू किये हैं पर तमिलनाडु राज्य नहीं।

NO HARRASSMENT TO ALTERNATIVE MEDICAL PRACTITIONERS

Hon'ble Supreme Court

LATEST :- CONTENTS OF THE JUDGEMENT OF HON'BLE SUPREME COURT OF INDIA DATED 24.11.2000

(In the Judgement and order dt. 18.11.98 in FAO No.205/92)

For want of certain clarifications etc., Delhi Govt. & Union of India (Ministry of Health & F.W.) has filled an appeal (SLP) in the Hon'ble Supreme Court of India challenging the order of Hon'ble Delhi High Court dt. 18.11.98. Upon hearing on 12.10.2000 the Division Bench of Hon'ble Supreme Court comprising Mr. Justice Anand (Chief Justice of India), Hon'ble Justice R.C. Lahoti & Hon'ble Justice Shivaraj V.Patil has rejected the plea of Delhi Govt. & Union of India and finally on 24.11.2000 the Bench of the Hon'ble Court comprising Justice Rajendra Babu and B.N. Agarwal has declined to entertain the matter and SLP filed by petitioner (Delhi Govt. & Union of India) has been dismissed. The Hon'ble Supreme Court of India also maintained the statusquo of the order of Hon'ble Delhi High Court (FAO No. 205/92) dt. 18.11.98 by which it has been ordered that any legally constituted institution imparting Educational facilities in the field of Alternative Medicines may issue diploma/certificates and holders of such diploma/certificates are entitled to practice the particular Faculty/Faculties covered by the Said Diploma/ Certificates.